संख्या-4/2026/619/सत्तर-5-2025-001/70-5002(001)/3/2025

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 28 मार्च, 2025**

विषयः- रवीन्द्र किशोर शाही राजकीय महाविद्यालय, पथरदेवा, देवरिया में स्नातक स्तर पर वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डिग्री प्लान-870/2023-24, दिनांक 19.12.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है रवीन्द्र किशोर शाही राजकीय महाविद्यालय, पथरदेवा, देवरिया में स्नातक स्तर पर वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय भवन के निर्माण हेतु परियोजना की पी०एफ०ए०डी० द्वारा आकलित लागत रू0 1044.38 लाख (रूपये दस करोड़ चौवालीस लाख अड़तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-73 के लेखाशीर्ष "4202-01-203-09-24" के अन्तर्गत प्राविधानित. बजट की धनराशि रु.2100.71 लाख के सापेक्ष रु.300.00 लाख (रुपये तीन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिवन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी कार्य एवं मद में किया जायेगा जिस कार्य एवं मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध कराये जाने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं सुसंगत शासनादेशों में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रायोजना का कार्य अनुमोदन लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में योजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(7) प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाये।

(9) विभाग द्वारा पी०एफ०ए०डी०/व्यय वित्त समिति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेण्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(12) वित्तीय स्वीकृति बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में निर्गत किया जाएगा।

(13) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाएगी।

(14) कार्यों का सम्यक परीक्षण नियमानुसार किया जाए एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) किसी भी वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक, उच्च शिक्षा का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 073 लेखा शीर्षक 4202012030900 राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न वित्तीय अशासकीय संख्या-ई-11-276-X2024-25 दिनांक 04 मार्च, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

गिरिजेश कुमार त्यागी

विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- जिलाधिकारी, देवरिया।

3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, देवरिया।

5- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/उच्च शिक्षा अनुभाग-4

7- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरिजेश कुमार त्यागी

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।